कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद
पत्रांक–2969 / 14–1 दिनांकः फिरोजाबादः 17 मार्च 2018

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मैंनपुरी।

विषयः जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, अलीगढ़ द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 91 अलीगढ़ से कानपुर के किमी 229.00 से 289.00 (कानपुर से नवीगंज) तक मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण के निर्माण में प्रभावित होने वाले 97.896 हे0 संरक्षित वन का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11377 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः 1–भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र 8B/UP/06/13/2018/FC/184 दिनांक 28–02–2018।

2–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र सं0– 2977 / मैंनपुरी / 24596 / 2018 दिनॉक 03–03–2018।

3–आपका पत्रांक 2227 / 14–1 दिनांक 12 मार्च 2018।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा बिन्दु संख्या–3 पर निम्न आपत्ति की गई हैः–

3) As per GIS DSS analysis of proposed forest land for diversion and propose compensatory afforestation, following issues need rectification:

a) Some portion of proposed forest land diversion overlap existing road

b) Some portion of proposed Compensatory afforestation shows presence of structure. This issue needs rectification and explanation regarding suitability of site.

बिन्दु संख्या 3(a) प्रयोक्ता अभिकरण से सम्बन्धित है।

बिन्दु संख्या 3(b) क्षतिपूरक वनीकरण के चयनित क्षेत्र से सम्बन्धित है। इसके स्पष्टीकरण हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, अलीगढ़ के साथ उक्त आपत्ति से सम्बन्धित क्षेत्र झपारा लैण्ड बैंक की भूमि, (क्षेत्रफल 15 हे0) का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण दिनांक 16 मार्च 2018 को किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित

(सिद्धार्थ कुमार अम्बेडकर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी

क्षेत्र के अन्दर कोई भी स्थायी संरचना नहीं है तथा सम्पूर्ण क्षेत्र वन विभाग के कब्जे में है तथा क्षतिपूरक वनीकरण एवं उसके प्रबन्धन हेतु सर्वथा उपयुक्त है। उपरोक्त के अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित निम्न क्षेत्र भी क्षतिपूरक वनीकरण एवं उसके प्रबन्धन हेतु उपयुक्त है:–

क्रं0सं0	क्षेत्र का नाम	क्षे0 हे0 में
1	गोपालपुर लैण्ड बैंक भूमि	10.00
2	उड़ेसर गजाधर सिंह लैण्ड बैंक भूमि	15.00
3	शादीपुर लैण्ड बैंक भूमि	25.00
4	नगला धनी लैण्ड बैंक भूमि	15.00
5	खड़ीत–मिलावली लैण्ड बैंक भूमि	20.00
6	रूद्रपुर लैण्ड बैंक भूमि	10.00
7	मुस्तफाबाद लैण्ड बैंक भूमि	10.00
8	सिंहपुर लैण्ड बैंक भूमि	5.00
9	कटरई लैण्ड बैंक भूमि	10.00
10	झपारा लैण्ड बैंक भूमि	15.00
11	नगला अचल लैण्ड बैंक भूमि	5.00
12	भादऊ लैण्ड बैंक भूमि	5.00
13	आलीपुर मोहनीपुर लैण्ड बैंक भूमि	10.00
14	उड़ेसर सरनाम सिंह लैण्ड बैंक भूमि	10.00
15	सुराया लैण्ड बैंक भूमि	5.00
16	नगला जगन्नाथपुर लैण्ड बैंक भूमि	5.00
17	नगला सिंह लैण्ड बैंक भूमि	5.00
18	देवरीफरीदपुर भाग–2 लैण्ड बैंक भूमि	8.00
19	नगला धीर लैण्ड बैंक भूमि	7.792
	योग–	195.792

भवदीय

17/3/18

(उमा शंकर दोहरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,फिरोजाबाद।

पत्रांक /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित की सेवा में प्रेषित:–
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
वन संरक्षक, आगरा वृत्त, उत्तर प्रदेश, आगरा।
महाप्रबन्धक सह परियोजना निदेशक, भारती राष्ट्रीय प्राधिकरण, अलीगढ़।

15/4/18

(सिद्धार्थ कुमार अम्बेडकर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी

(उमा शंकर दोहरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,फिरोजाबाद।